

लोकअदालत

सत्र—2015

मुद्रस्त रांग:-

आदेश फलाक :-

विभागीय नाम सं०

468 /2017

दृ० प्र० सं० 107

जनेश्वर कमाई विभागीय प्र०

वाद हासिल अन्तर्गत न्यायालय

अनुग्रह कालिकारी सदर बैठकी नगर

प्र० की रिक्षित

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अधियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया।

तिविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष

उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे प्रतित होता है कि दोनों

पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न

शान्ति मांग होने की कोई संभावना प्रतित होता है। अतः

अभिरुची के अंभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक

अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।

लोक अदालत
सदस्य
23.2.19

सदस्य